न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।

शिवहर थाना कांड संख्या–77 / 2021

दिनांक–23.02.2021

कारावीन अभियुक्त–1. संजय सहनी, जिन्हें शिवहर थाना कांड संख्या–77 / 2021, अन्तर्गतं धारा–37(सी) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के संदर्भ में दि0–21.02.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार सिंह, द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–20.02.2021 को स0अ0नि0 हरिमोहन प्रसाद गुप्ता, सशस्त्र बल एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ रात्री गस्ती के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम उकनी गॉव में शराब पीकर हो हल्ला कर रहे हैं। सूचना के आधार पर संबंधित स्थान पर पहुँचा तो देखें कि एक व्यक्ति नशे की हालत में अपने पड़ोसी को गाली गलौज एवं हो हंगामा कर रहा था जिसे बल के सहयोग से कब्जे में लेकर नाम पता पुछने पर अपना नाम संजय सहनी बताया तथा उसके मुँह से शराब की गंध आ रही थी। ब्रेथ एनालाईजर मशीन से जॉच करने पर जॉच रिपोर्ट 840 एम0जी0 / 100 एम0एल0 पाया गया। चिकित्सीय जॉच में शराब पीने की पुष्टि की गई। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त दि0–21.02.2021 से कारा में हैं। आवेदक सक्षम बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उनके प्रपलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त हैं तथा प्रस्तुत वाद में दि0–21.02.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त पर अल्कोहल का सेवन करके हल्ला हंगामा करने का अभियोग है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. संजय सहनी, के द्वारा मो0–10,000 / –((दस हजार रुपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है, कि अभियुक्त के दोनों जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो 2. आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगें कि वे विचारण / अनुसंधान के दौरान पूर्ण सहयोग करेगें एवं 3. आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

Khyati

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
दिनांक–23.02.2021